134

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

अपील – 430 – II – 16

प्र0क्र0

1. राम सेवक घोषी उम्र करीबन 62 साल
   तनय श्री रामनाथ घोषी
2. सुरेन्द्र घोषि तनय श्री रामनाथ घोषी
3. श्रीमति सरोज बाई पत्नि श्री रामनाथ घोषी

सभी निवासीगण ग्राम सासा, पोस्ट सासा
तहसील पथरिया, जिला ~~सागर~~ दमोह म0प्र0 ----- अपीलार्थीगण

विरूद्व

श्रीमति गायत्री घोषी पत्नि श्री सब्बू घोषी
निवासी ग्राम एवं पोस्ट सासा, तहसील पथरिया
जिला दमोह म0प्र0 ----- प्रतिअपीलार्थी

अपील अंर्तगत् धारा 44 म0प्र0भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थीगण माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर द्वारा प्र0क्र0 09 262 अ/6 वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12/01/2016 प्रतिलिपी प्राप्त दिनांक 25/01/2016 से दुःखित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :-

1. प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है :-

1. यह कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय तहसील पथरिया के समक्ष एक आवेदनपत्र नामंत्रण बाबद धारा 110 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत किया था जिसका कि प्र0क्र0 86 अ/6 वर्ष 2013-2014 था, जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय पथरिया द्वारा दिनांक 23/2/2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थीगण का आवेदनपत्र स्वीकार कर ख0 नं0 273 रकिबा 0.59 हे0 पर अपीलार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने

Through
ARKhanda

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक A 430-II/16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. यह अपील आवेदन अपर आयुक्त, सागर के आक्षेपित आदेश दि १२-१-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसके द्वारा उन्होंने अनु अधि, पथरिया के आदेश दि ३०-७-१५ के विरुद्ध उनके समक्ष दि ११-१२-१५ को प्रस्तुत अपील आवेदन को विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दिया है. आवेदकपक्ष का कहना है कि आवेदक क्र-१ विकलांग है, और आवेदकगण में सबसे बड़ा भाई होने के नाते वही सब कुछ देखता है. उनका यह भी कहना है कि विलम्ब अत्यधिक नहीं है और उसके कारण भी बताए गए हैं. उपरोक्त के प्रकाश में मैं न्यायहित में आवेदकपक्ष के इन तर्कों से सहमत होते हुए अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश निरस्त करता हूँ, तथा अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे उनके न्यायालय का अपीलीय प्रकरण पुनः खोलें, और उसमें गुणदोष पर विचार करते हुए और उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए, विलम्ब को माफ़ मानकर, नए सिरे से गुणदोष पर बोलते स्वरुप का आदेश पारित करें. इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार एवं अपर आयुक्त, सागर सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	